## परिवहन विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2012

क्रमांक 85/एफ 5-7/आठ-परि./2012.— छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 16-01-2012 को मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड, नोएडा, उ.प्र. के साथ अनुबन्ध किया गया, जिसके अनुसार अनुबंधकर्ता प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन चालक अनुज्ञप्ति एवं स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा उससे संबंधित सेवाओं की गतिविधियां अनुबंध के मान्य रहने तक निष्पादित करेगा.

जैसा कि अनुबंध की धारा 3.1.1 में उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ शासन अनुसूची-1 में वर्णित सेवा शुल्क प्राप्त करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा.

अतएव छत्तीसगढ़ शासन, अनुबंध में वर्णित उपरोक्त शर्त अनुसार, मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड, नोएडा, उ.प्र. अनुबंधकर्ता को कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से अनुबंध की धारा 3.1.1 की अनुसूची-1 में उल्लेखित सेवाओं में से निम्नानुसार राशि प्राप्त करने के लिए आदेशित करती है.

| क्र. | विनिर्दिष्ट सेवायें | शुल्क (रूपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | 64 के.बी. SCOSTA स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लायसेंस की छपाई. | रू. 75.00 + कर (पचहत्तर रूपये एवं कर) |
| 2. | 64 के.बी. SCOSTA स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र की छपाई | रू. 74.70 + कर (चौहत्तर रूपये सत्तर पैसे एवं कर) |

यह अधिसूचना उस दिनांक से प्रभाव में आएगी जिस दिनांक से संबंधित परिवहन कार्यालय में केन्द्रीय मोटर यान, 1989 के नियम 16 के अनुसार फार्म-7 (स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लायसेंस) एवं नियम 48 के अनुसार फार्म 23-ए (स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र) में जारी करने के लिए आवश्यक संयंत्र स्थापित कर कार्य प्रारम्भ करेगा.

No.85/F 5-7/VIII-Tr./2012.— In order to usher transparency and e-Governance through induction of IT in transport department the Government of Chhattisgarh has entered into a Concession Agreement dated 16-01-2012 with M/s. Smart Chip Limited, Noida (U.P.) (Concessionaire) whereby the Concessionare has been ordered to carry out Smart card based driving license and Smart card based Registration Certificate and related activities in all Transport offices in the entire state of Chhattisgarh for a period till the Concession Agreement is valid.

Under Clause No. 3.1.1 the said Concession Agreement the Government of Chhattisgarh is under obligation to issue service charge notification in accordance with the Schedule-I as listed in the Concession Agreement.

Thus as per condition mentioned in the agreeement Government of Chhattisgarh is hereby authorised M/s. Smart Chip Limited, the Concessionaire to collect the following fee as given in Schedule-I of Clause 3.1.1 of the agreement.

| Sl. No. | Specified Services | Fee (in Rs.) |
|---|---|---|
| 1. | Printing of Driving License on 64 KB SCOSTA Smart Card | Rs. 75.00 + taxes (Rupees seventy five plus taxes) |
| 2. | Printing of Registration Certificate on 64 KB SCOSTA Smart Card | Rs. 74.70 + taxes (Rs. Seventy four and seventy paisa plus taxes) |

This Notification will come into effect from the date on which the Concessionaire will install the equipments to initiate work at the concerned Transport Office for issuance of Smart Card based Driving License in Form 7 as per Rule 16 and Smart Card based Vehicle Registration Certificate in Form 23-A as per Rule 48 of Central Mortor Vehicle Rules, 1989.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2012

क्रमांक 86/एफ 5-7/आठ-परि./2012.– पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस को बढ़ावा प्रदान करने हेतु परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को लाने के लिए वाहन चालक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, वाहन चालक अनुज्ञप्ति, पंजीयन प्रमाण पत्र, इंटरनेट के माध्यम से वाहनों का डीलर आधारित पंजीयन, परमिट, एन.ओ.सी., फिटनेस, मोटरयान कर एवं शुल्क के भुगतान, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति एवं वाहन चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये कौशल परीक्षण हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण, वाहन उपयुक्तता जांच आदि की प्रक्रिया को लागू किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन (अनुदेशित ''प्रथम पक्ष'') परिवहन विभाग द्वारा अनुबंध दिनांक 16-01-2012 को निष्पादित किया है, जिसमें अनुबंधकर्ता को आदेशित किया गया है कि वह उपरोक्त वर्णित गतिविधियां सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त परिवहन कार्यालय में अनुबंध के मान्य रहने के समय तक निष्पादित करेगा.

वाहन स्वामी एवं चालकों की सुविधा हेतु एवं स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन चालक अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन प्रमाण पत्र देश के सभी राज्यों में लागू नहीं होने एवं स्मार्ट कार्ड के अंतकार्यकारी प्रणाली की पठनीयता को ध्यान में रखते हुए, स्मार्ट कार्ड के साथ-साथ कागजी आधारित समकक्ष दस्तावेज भी जारी किया जाएगा.

अनुबंधकर्ता मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड को विनिर्दिष्ट सेवाओं हेतु उपयोगकर्ताओं से निम्नानुसार शुल्क वसूलने हेतु अधिकृत किया जाता है –

| क्र. | विनिर्दिष्ट सेवा | यूनिट | रूपये (अंकों में) | रूपये (शब्दों में) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | होलोग्राम सहित सिक्युरिटी कागज पर दस्तावेजों की छपाई. (लर्नर्स लायसेंस, ड्राइविंग लायसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र), परमिट, फिटनेस, एन.ओ.सी. अथवा अन्य कोई दस्तावेज) | प्रति पृष्ठ | रू. 5.00 + कर | रू. पांच मात्र + कर |
| 2. | इंटरनेट के माध्यम से वाहनों का डीलर आधारित पंजीयन प्रक्रिया | प्रति ट्रांजेक्शन | रू. 5.00 + कर | रू. पांच मात्र + कर |
| 3. | इंटरनेट के माध्यम से वाहन चालक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति एवं वाहन चालक अनुज्ञप्ति हेतु अपाईन्टमेंट प्रक्रिया. | प्रति ट्रांजेक्शन | रू. 15.00 + कर | रू. पन्द्रह मात्र + कर |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4. | इंटरनेट के माध्यम से परमिट प्रक्रिया | प्रति ट्रांजेक्शन | रू. 15.00 + कर | रू. पन्द्रह मात्र + कर |
| 5. | इंटरनेट के माध्यम से एन.ओ.सी. प्रक्रिया | प्रति ट्रांजेक्शन | रू. 15.00 + कर | रू. पन्द्रह मात्र + कर |
| 6. | इंटरनेट के माध्यम से फिटनेस प्रक्रिया | प्रति ट्रांजेक्शन | रू. 15.00 + कर | रू. पन्द्रह मात्र + कर |
| 7. | इंटरनेट के माध्यम से कर एवं शुल्क भुगतान प्रक्रिया | प्रति ट्रांजेक्शन | रू. 20.61 + कर | रू. बीस रूपये एवं इकसठ पैसे मात्र + कर |

यह अधिसूचना उस दिनांक से प्रभाव में आएगी जिस दिनांक से संबंधित प्राधिकरण उपयोगकर्ताओं को उपरोक्त में से कोई भी सुविधा देना प्रारम्भ करेगी.

No. 86/F 5-7/VIII-Tr./2012.— In order to usher in transparency and e-Governance through induction of IT in transport sector for issuance of Learners Licences. Driving Licences. Registration Certificates, Dealer based vehicle registration-Web enable permit system, NOC system. Fitness system. Tax and fee payment system, learners Driving Licence fitness test appointment system etc, the Government of Chhattisarh (hereinafter called "First Party") through the office of the Transport Commissioner has entered into a Concession Agreement dated 16-1-2012 whereby the Concessionaire has been ordered to carry out the aforesaid activities in all Transport offices of the Slate of Chhattisgarh for a period till the Concession Agreement is valid.

However, for the convenience of vehicle owners and drivers and in view of non-induction of Smart Card based Driving Licences and Registration Certificates in all the States of the country and the fact that issue of interoperability is yet to be resolved on all India basis and to take care of instances where the Smart Card readability is impaired for any reason, paper based equivalent documents shall be issued along with a Smart Card based document.

The Concessionaire M/s. Smart Chip Limited is hereby authorised to collect the following fee from users for rendering specified services as under :—

| Sr. No. (1) | Specified Service (2) | Unit (3) | Rupees (In figure) (4) | Rs. (In words) (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Printing of paper documents (Learners License, Driving License, Registration Certificate, Permits, Fitness, NOC or any other documents on security paper with hologram). | Per page | 5.00 + Taxes | Rupees Five only + Taxes |
| 2. | Web based Dealer Point vehicle registration and data accumulation system. | Per Transaction | 5.00 + Taxes | Rupees Five only + Taxes |
| 3. | Web based Learners License and Driving License appointment system.Transaction | Per Transaction | 15.00 + Taxes | Rupees Fifteen only + Taxes |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Web based permit systm. | Per Transaction | 15.00 + Taxes | Rupees Fifteen only + Taxes |
| 5. | Web based NOC system | Per Transaction | 15.00 + Taxes | Rupees Fifteen only + Taxes |
| 6. | Web based Fitness system | Per Transaction | 15.00 + Taxes | Rupees Fifteen only + Taxes |
| 7. | Web based tax and fee payment system | Per Transaction | 20.61 + Taxes | Rupees Twenty & sixty one paisa only + Taxes |

This Notification will come into effect from the date when the Transport Department will start providing any of the aforesaid services to the users.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.